मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-- एफ--8/1/13/19/यो, 319 भोपाल, दिनांक 17 मई, 2013

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग, म0प्र0,
   भोपाल।
2. समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/
   संभागीय यंत्री/ पी.आई.यू.
   लोक निर्माण विभाग,
   मध्यप्रदेश।

विषय :-- प्रदेश के पुराने भवनों के मरम्मत के दौरान सावधानी बरतने बाबत्।

भोपाल स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के मुख्य अस्पताल कस्तूरबा गांधी, अस्पताल भवन कें मरम्मत कार्य के दौरान अप्रैल, 2013 में भवन ढह जाने से हुई जान--माल की क्षति के परिप्रेक्ष्य में शासन चाहता है कि लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में संधारित सभी गैर आवासीय भवनों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :--

(1) कार्य विभाग नियमावली 1983 के सेक्शन 13-- गैर आवासीय भवनों का निरीक्षण पैरा 3.063, 3.064, 3.065 के तहत सभी गैर आवासीय भवनों का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से किया जाय। शासन चाहता है कि उक्तानुसार कार्यवाही नहीं करने पर त्रुटिकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने की जिम्मेदारी परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता को होगी।

(2) वर्ष 2013--14 के लिये सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक (गैर आवासीय) भवनों जैसे अस्पताल, कालेज, स्कूल, कलेक्ट्रेट, कोर्ट एवं अन्य बहुमंजिला भवनों का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा आवश्यक रूप से कर भवनों के सुरक्षित होने से संबंधित प्रमाण--पत्र अधीक्षण यंत्री को दिनांक 30/6/2013 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(3) भविष्य में सभी सार्वजनिक (गैर आवासीय) भवनों के मरम्मत कार्यों के प्राक्कलन के साथ कार्यपालन यंत्री / संभागीय अधिकारी इस आशय का प्रमाण--पत्र भी संलग्न करेंगे कि प्रस्तावित मरम्मत कार्य से भवनों के भारवाहक कॉलम एवं दीवारों की भार वहन क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं प्रस्ताव में कार्य के दौरान भवन के कॉलम एवं दीवारों की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रावधानों का समावेश किया जा चुका है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में गैर आवासीय भवनों के कोई भी मरम्मत प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

17/5/13

( विजय सिंह वर्मा)
सचिव
म०प्र० शासन, लोक निर्माण विभाग